

No. 04/03/2019-1 Election
Government of Haryana
Chief Secretary's Office
(Election Branch)

To

Dated, Chandigarh the 8th October, 2020.

1. All Administrative Secretary to Govt Haryana.
2. All the Heads of the Department in Haryana.
3. The Director General of Police, Haryana.
4. All the Divisional Commissioners in Haryana.
5. All the Deputy Commissioners-cum-District Electoral Officers in Haryana.

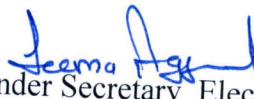
Subject: - 33-Baroda Bye Election to the Vidhan Sabha, 2020-SAHYOG.

Sir/Madam,

I am directed to refer to letter no. 320(22)/33-Baroda Bye Election, 2020/2AE-4488 Dated 08.10.2020 received from Chief Electoral Officer, Haryana copy enclosed.

2 It is requested that the instructions contained in the referred letter may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours Faithfully


Under Secretary Election.

Endst.No. 04/03/2019-1 Election

Dated Chandigarh the 8th October, 2020.

A copy is forwarded to Chief Electoral Officer, Haryana w.r.t his letter no. 320(22)/33-Baroda Bye Election, 2020/2AE-4488 Dated 08.10.2020 for information & necessary action.


Under Secretary Election.



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

E/O- Elect-010005/26/2020-ELECTION BRANCH-ELECTION

क्रमांक 320(22)/33-बरौदा उप निर्वाचन, 2020/2ई-4488 दिनांक 8.10.2020

सेवा में,

4488

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्यसचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्यसचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।
4. अतिरिक्त मुख्यसचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त।
7. राज्य में सभी उपायुक्त।
8. राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।

विषय:-

33.बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव 2020 - सहयोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 33-बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिए मतदान 03.11.2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। यह एक समयबद्ध कार्य है। जिसे ध्यानपूर्वक व सुचारु रूप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक है। चुनाव प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, जिनका निर्धारित समय के अन्दर पालन करना अनिवार्य है। चुनाव सम्बन्धी कार्यों में किसी प्रकार की बाधा, पूरे चुनाव कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त कर सकती है, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों द्वारा निर्वाचन विभाग को पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना आपसे निर्धारित समय में मांगी जाए, तो यह सुनिश्चित करें कि यह सूचना वांछित अवधि में ही इस विभाग को अवश्यमेव पहुंच जाए।

2. इसके अतिरिक्त आप जिला सोनीपत में आपके अधीन पडने वाले सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे 33-बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं उप मण्डल अधिकारी (ना.), गोहाना तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनीपत को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विभाग को पूर्ण विश्वास है, कि उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान इस विभाग व जिला निर्वाचन कार्यालय को जब कभी भी आपसे व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होगी, तो उस समय आप अपना सहयोग और चुनाव कार्य में यथा सम्भव सहायता देंगे।

भवदीय,

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

कृते: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक 20/उप निर्वाचन/2020/2ई-4489 दिनांक 8.10.2020

इसकी एक प्रति निर्वाचन तहसीलदार, सोनीपत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

कृते: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।